प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर ।

सेवायें,

प्रबन्धक,

इडेन जूनियर हाईस्कूल इमरानगंज, सबरहद,
शाहगंज, जौनपुर ।

पत्रांक/बे0-2/मान्यता/ 3725-34 /2003-04 दिनांक 21-8-2003

विषय :- अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) अस्थायी मान्यता के सम्बंध में।

महोदय,

शासनादेश सं0-646/15-97-18एस(7) दिनांक 13-8-97 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक अस्थायी मान्यता इस आदेश निर्गत तिथि से प्रदान की जाती है।

प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति प्रदान की जाती है। इस प्रकार विद्यालय में कुल तीन वर्ग मान्य होंगें। अतिरिक्त वर्गों के संचालन हेतु अनुमति पृथक से नियमानुसार प्राप्त की जायेगी। शासनादेश में निहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगें :-

प्रधानाध्यापक	:	एक
सहायक अध्यापक	:	चार
लिपिक	:	एक
चतुर्थ श्रेणी कर्मी	:	एक

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे। किन्तु त्रिभाषा सूत्रान्तर्गत पद की अनुमन्यता हेतु उपर्युक्त सृजित सहायक अध्यापकों के चार पदों में से पद परिवर्तन सम्बन्धी पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

भवदीय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर

पृ0सं0/बे0-2/मान्यता/ /2003-04 तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- अपर शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0 शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद ।
2- सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
3- सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) पंचम मण्डल वाराणसी ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, जौनपुर ।
5- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर ।
6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, जौनपुर ।
7- अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जौनपुर ।
8- पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जौनपुर ।
9- सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जौनपुर

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर

Manager
EDEN PUBLIC SCHOOL
Imranganj, Shahganj, Jaunpur (U.P.)